फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

कृष्ण मुरारी वगै0 बनाम तहसीलदार टोडाभीम वगै0

किस्म मुकदमा 225 आर टी एक्ट............अपील संख्या 45/2025

GCMS NO 2025/---86---

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अइकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.5.25	अपील श्री रिषीराम मीना अधिवक्ता द्वारा पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट अधिवक्ता को अपील के एडमिशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एक पक्षीय सुना गया। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश कर आराजी खसरा न0 139,140 व 141 ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम पर से अप्रार्थी द्वारा जबरन बेदखल करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया। जिसके विरूद्व यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है। जबकि इन्द्राज दुरूस्ती का वाद अधिनस्थ न्यायालय मे विचाराधीन है। चूकि विवादित आराजीयात ख0न0 140 व 141 का प्रार्थी/अपीलांट खातेदार है। सेटलमेट द्वारा गलत की गई तरमीम की आड मे अप्रार्थी प्रार्थी के पक्के मकान को तोड कर बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजीयात की मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश फरमाने की कृपा करे। अपींलांट अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस पर मनन किया। न्यायहित मे स्थगन प्रार्थना पत्र अंतरिम रूप से स्वीकार जाकर विवादित आराजीयात ख0न0 139, 140 व 141 वाके ग्राम गोरडा तहसील टोडाभीम के रिकार्ड एवं मौके यथास्थिति प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 82/24 उनवानी कृष्ण मुरारी बनाम तहसीलदार टोडाभीम वगै0 के अंतिम निस्तारण तक बनाये रखे जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का विवेचन करते हुए प्रकरण का अन्दर 3 माह मे निस्तारण करे। निर्णय सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:49:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner